न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी – श्रीमती निमिषा गुप्ता ,आर ए एस

अपील संख्या– आरटीए/81/2016

उनवान

1. सोला उर्फ सोलाराम पिता बिहारी बणजारा निवासी उम्मेदपुरा तहसील सहाडा जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट/वादी

बनाम

1. राजस्थान राज्य ज़रिये तहसीलदार, सहाडा मुकाम गंगापुर जिला भीलवाडा
2. सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी, भू प्रबन्ध विभाग भीलवाडा

प्रत्यर्थीगण/प्रतिवादीगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

अपील विरूद्व आदेश उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर के प्रकरण संख्या 62/2012 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24.6.2015

अभिभाषक : 1. श्री एम एल बापना, अधिवक्ता अपीलार्थी
2.श्री ओम प्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

आदेश

दिनांक 16.7.2018

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी /वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम उम्मेदपुरा तहसील सहाडा में स्थित साबिक आराजी नम्बर 4/44 रकबा 4 बीघा भूमि दिनांक 25.6.1976 को आवंटन हुई। वादी के पक्ष में आवंटन होने पर वादी को दिनांक 16.9.1976 को 4 बीघा भूमि सिपुर्द की गई। जिस पर अब तक वादी काश्त करता चला आ रहा है। लगान भी जमा कराता आ रहा है। नवीन

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

बन्दोबस्त में साबिक आराजी नम्बर 4/44 रकबा 4 बीघा के हाल नम्बर 545/1532, 449/1529, 449/1530, 449/1531 रकबा 0.87 हेक्टेयर कायम किये गये। जिसके बाबत खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के लिए वादी ने दिनांक 15.6.2009 को तहसील कार्यालय सहाडा मुकाम गंगापुर को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया तथा प्रार्थना पत्र को पटवार हल्का चावण्डिया के पास भिजवाया गया । जिस पर दिनांक 21.6.2009 को मौका निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रेषित की । मौके पर उपरोक्त वर्णित आराजियात पर गैर खातेदारी वादी का कब्जा होकर जमीन को हांक रखी है। खसरा गिरदावरी संवत 1965 में खसरा नम्बर 449/1529, 449/1530, 449/1531 में फसल काश्त दर्ज रेकार्ड है तथा आराजी नम्बर 545/1532 में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज है। मगर मौके पर कोई रास्ता नहीं है। आवंटन को 10 वर्ष बीत गये हैं। जिस पर भू अभिलेख ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 21.6.2009 को इस प्रकार प्रस्तुत की कि पटवार हल्का की रिपोर्ट दुरूस्त है गैर खातेदारी से खातेदारी हेतु पत्रावली तहसीलदार, सहाडा के सम्मुख प्रस्तुत हो । इस पर तहसीलदार सहाडा ने पटवार हल्का को गलत रूप से आदेशित किया कि आराजी नम्बर 545/1532 के अलावा अन्य आराजियात को गैर खातेदारी से खातेदारी में दर्ज कर दी जावे। इस पर पटवार हल्का ने इन्तकाल नम्बर 223 दिनांक 31.7.2009 को प्रमाणित कराया एवं खातेदारी अधिकार दिये एवं आराजी नम्बर 545 /1532 के खातेदारी अधिकार नहीं दिये। आराजी नम्बर 545/1532 में किसी प्रकार का रास्ता नहीं होते हुए भी सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी भीलवाडा द्वारा गैर मुमकिन रास्ता दर्ज कर दिया और खाते में तो वादी का ही नाम रखा । जबकि भू प्रबन्ध कार्यवाही के दौरान भू प्रबन्ध विभाग को जमीन की किस्म

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
सैटल राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

बदलने का कतई अधिकार नहीं है। भू प्रबन्ध विभाग को पुराने इन्द्राज को ही रिपिट करना चाहिये था। परन्तु भू प्रबन्ध विभाग ने अधिकार से परे जाकर आराजी नम्बर 545/1532 रकबा 0.25 हेक्टेयर गैर मुमकिन रास्ते में दर्ज कर दिया । इस पर वादी ने धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत आवेदन किया जिस पर प्रकरण संख्या 8/2010 दर्ज किया गया एवं बिना रेकार्ड की छानबीन किये आवेदन दिनांक 31.5.2011 को निरस्त कर दिया गया। अतः निवेदन है कि वादग्रस्त आराजी नम्बर 545/1532 रकबा 0.25 हेक्टेयर किस्म गैर मुमकिन रास्ते का इन्द्राज हटाया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

2. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजिबद्ध किया गया एवं बाद विचारण निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24.6.2015 को वादी का वाद पत्र खारिज किया गया। जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलाधीन निर्णय दिनांक 24.6.2015 को पारित किया गया परन्तु निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 25.6.2015 को लगा दिये जाने के बावजूद उपलब्ध नहीं कराई गई। दिनांक 22.3.2016 को नकल मिली । इस कारण अपील प्रस्तुत करने में विलम्ब हुआ है। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षम्य किया जावे।

4. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि ग्राम उम्मेदपुरा तहसील सहाडा में स्थित साबिक आराजी नम्बर 4/44 रकबा 4 बीघा भूमि दिनांक 25.6.1976 को आवंटन हुई। वादी के पक्ष में आवंटन होने पर वादी को दिनांक 16.

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

9.1976 को 4 बीघा भूमि अपीलार्थी/वादी को कब्जा सुपुर्द किया तभी से आवंटित भूमि पर अपीलाण्ट/वादी का कब्जाकाश्त चला आ रहा है एवं वह लगान भी जमा कराता आ रहा है। भू प्रबन्ध के दौरान साबिक आराजी नम्बर 4/44 रकबा 4 बीघा के हाल नम्बर 545/1532, 449/1529, 449/1530, 449/1531 रकबा 0.87 हेक्टेयर कायम किये गये। जिसके बाबत खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के लिए वादी ने दिनांक 15.6.2009 को तहसील कार्यालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया । इस पर पटवारी हल्का ने रिपोर्ट तैयार कर मौके पर उपरोक्त वर्णित आराजियात पर गैर खातेदारी वादी का कब्जा होकर जमीन को हांक रखी है। खसरा गिरदावरी संवत 1965 में खसरा नम्बर 449/1529, 449/1530, 449/1531 में फसल काश्त दर्ज रेकार्ड है तथा आराजी नम्बर 545/1532 में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज है। मगर मौके पर कोई रास्ता नहीं है। आवंटन को 10 वर्ष बीत गये हैं। जिस पर भू अभिलेख ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 21.6.2009 को इस प्रकार प्रस्तुत की कि पटवार हल्का की रिपोर्ट दुरूस्त है गैर खातेदारी से खातेदारी हेतु पत्रावली तहसीलदार, सहाडा के सम्मुख प्रस्तुत हो । इस पर तहसीलदार सहाडा ने पटवार हल्का को गलत रूप से आदेशित किया कि आराजी नम्बर 545/1532 के अलावा अन्य आराजियात को गैर खातेदारी से खातेदारी में दर्ज कर दी जावे। इस पर पटवार हल्का ने इन्तकाल नम्बर 223 दिनांक 31.7.2009 को प्रमाणित कराया एवं खातेदारी अधिकार दिये एवं आराजी नम्बर 545 /1532 के खातेदारी अधिकार नहीं दिये।

5. अपीलार्थी ने यही तथ्य अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किये । जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय द्वारा अपीलार्थी/वादी का वाद पत्र खारिज कर दिया

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

एवं वादग्रस्त हाल आराजी नम्बर 545 /1532 के खातेदारी अधिकार प्रदा नहीं किये । भू प्रबन्ध विभाग को पुराने इन्द्राज को ही रिपिट करना चाहिये था । वादग्रस्त साबिक आराजी नम्बर 4/44 के भू प्रबन्ध के दौरान हाल आराजी नम्बर 545/1532, 449/1529, 449/1530, 449/1531 रकबा 0.87 हेक्टेयर कायम किये गये। ऐसी स्थिति में हाल आराजी नम्बर 449/1529, 449/1530, 449/1531 तो अपीलार्थी/वादी के नाम पर दर्ज कर दिये गये परन्तु हाल आराजी नम्बर 545/1532, को गैर मुमकिन रास्ता दर्ज कर दिया गया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में यह तथ्य अंकित किया कि साबिक आराजी नम्बर 4/44 रकबा 113 बीघा 13 बिस्वा भूमि के संबंध में कोई राजस्व रेकार्ड मय नजरी नक्शा प्रस्तुत नहीं किया जिससे यह स्पष्ट नहीं होता है कि हाल नक्शा साबिक नक्शे के मुकाबले क्या परिवर्तन किया है। वादी ने वाद पत्र के समर्थन व ताईद में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। इस आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट /वादी का वाद पत्र खारिज कर दिया । जबकि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट/वादी ने पर्याप्त दस्तावेजी साक्ष्य से अपने वाद को साबित कराया है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री को निरस्त किया जावे एवं वादग्रस्त आराजी नम्बर 545/1532, को गैर मुमकिन रास्ता इन्द्राज को हटाया जाकर अपीलाण्ट/वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

6. प्रत्यर्थी की ओर से राजकीय अधिवक्ता का कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने बाद विचारण उपलब्ध दस्तावेजात रेकार्ड के आधार पर जो अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की है वह विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जावें।

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

7. हमनें उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया । अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपील को अन्दर मियाद मानने का निवेदन किया । अपीलाण्ट ने अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का जो कारण अंकित किया है । वह सद्भावी एवं संतोषप्रद होने के कारण अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार कर अपील अपीलाण्ट अन्दर मियाद मानी जाती है।

8. अपीलाण्ट ने दौराने विचारण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सी पी सी प्रस्तुत कर उसके साथ ग्राम उम्मेदपुरा का हाल नक्शा ट्रेश , आवंटन प्रार्थना पत्र, सिपुर्दगीनाम, तत्कालीन नक्शा ट्रेश, अपीलाण्ट द्वारा तहसीलदार सहाडा को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र जिस पर तसीलदार सहाडा के आदेश की पालना में पटवारी हल्का एवं गिरदावर द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट दिनांक 21.6.2009, नामान्तरकरण पंजिका जमाबंदी संवत 2033, खसरा मिलान, भूं प्रबन्ध विभाग द्वारा तैयार किया गया खसरा पत्रक आदि की फोटो प्रति प्रस्तुत की । जिसे रेकार्ड पर लिया गया । न्यायालय हाजा द्वारा तहसीलदार सहाडा से मौका रिपोर्ट मंगवाई गई। जिस पर तहसीलदार सहाडा के पत्रांक राजस्व/18/304 दिनांक 8.6.2018 को मौका रिपोर्ट तैयार कर भिजवाई गई।

9. अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड में आवंटन प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया जिसके अनुसार अपीलाण्ट/वादी को साबिक आराजी नम्बर 4/44 रकबा 4 बीघा भूमि का आवंटन किया गया एवं उसकी पालना में अपीलाण्ट को सुपुर्दगी नामा द्वारा भूमि सिपुर्द की गई है। साथ ही नक्शा ट्रेश की फोटो प्रति भी संलग्न है जिसके

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

अनुसार अपीलाण्ट /वादी को आवंटित आराजी नम्बर 4/44 के मध्य किसी प्रकार के रास्ते का अंकन नहीं है। यह भूमि नक्शे में एकचक दर्शायी गई है। भू प्रबन्ध विभाग द्वारा तैयार खसरा मिलान का अवलोकन किया गया । जिसके अनुसार साबिक आराजी नम्बर 4/44 के हाल आराजी नम्बर 449/1529, 449/1530, 449/1531 एवं 445/1532 कायम किये गये हैं। साबिक आराजी नम्बर 4/44 रकबा पत्रक का अवलोकन किया गया जिसके अनुसार 4/44/46 मीन का रकबा 4 बीघा जिसके हाल आराजी नम्बर 449/1529, 449/1530, 449/1531 की किस्म में परिवर्तन नहीं किया गया है । वर्तमान जमाबंदी में खातेदार काश्तकार के रूप में भी अपीलाण्ट का ही नाम दर्ज किया गया है । जबकि हाल आराजी नम्बर 445/1532 की किस्म परितवर्तन करते हुए गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया गया है। जबकि भू प्रबन्ध विभाग को पुराने इन्द्राज को ही रिपिट करना होता है। सहवन से अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत वाद पत्र व न्यायालय हाजा में प्रस्तुत अपील में खसरा नम्बर 545/1532 अंकन कर दिया गया है जबकि उक्त नम्बर 445/1532 है। इस बाबत आदेश 6 नियम 17 सपठित धारा 151 सी पी सी का प्रार्थना पत्र भी दिनांक 12.7.2018 को अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत किया गया था जो सही पाये जाने से स्वीकार किया गया है।

10. तहसीलदार , सहाडा के समक्ष अपीलाण्ट/वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का भी अवलोकन किया गया जिसमें पटवारी हल्का एवं गिरदावर ने रिपोर्ट में अंकित किया है कि आराजी नम्बर 545/1532 रेकार्ड में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज है मगर मौके पर वर्तमान में कोई रास्ता नहीं है। अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत खसरा गिरदावरी के अनुसार भी अपीलाण्ट को आवंटित भूमि पर उसके द्वारा काश्त किया

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

जाना अंकित किया गया है। न्यायालय हाजा द्वारा तहसीलदार सहाडा से मौका रिपोर्ट मंगवाई गई है उस रिपोर्ट का भी प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन किया गया। जिसके अनुसार हाल आराजी नम्बर 449/1529, 449/1530, 449/1531 एवं 445/1532 वादी के नाम दर्ज होना अंकित किया है। वादग्रस्त आराजी नम्बर 445/1532 किस्म गैर मुमकिन रास्ता रकबा 0.25 हेक्टेयर भूमि में से मौके पर काबिज रकबा 0.16 हेक्टर किस्म भूमि गैर मुमकिन रास्ता दर्ज रेकार्ड है जबकि मौके पर रास्ते के निशानात मौजूद नहीं होकर वादी के खेत में सम्मिलित होकर हकाई कर रखी है। वादग्रस्त आराजी पर अपीलाण्ट का कब्जाकाश्त है एवं वर्तमान में उक्त भूमि रास्ते के रूप मे उपयोग में आने संबंधी कोई निशानात भी नहीं है। वादग्रस्त आराजी नम्बर 445/1532 अपीलाण्ट को आवंटित साबिक आराजी नम्बर 4/44 का ही जुज भाग है । जिसे भू प्रबन्ध विभाग द्वारा किस्म गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज किया है।

11. उपलब्ध राजस्व रेकार्ड से वादग्रस्त हाल आराजी नम्बर 445/1532 गैर मुमकिन रास्ता में गैर खातेदार के रूप में अंकित अपीलाण्ट को आवंटित भूमि आराजी नम्बर 4/44 का भू भाग होकर उस पर अपीलाण्ट ही काबिजकाश्त चला आ रहा है एवं भू प्रबन्ध की कार्यवाही के दौरान भूमि की किस्म परिवर्तन की गई है। अतः अपील अपीलाण्ट वादग्रस्त आराजी के खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारीहै।

12. अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24.6.2015 को निरस्त किया जाता है एवं राजस्व रेकार्ड में दर्ज हाल आराजी नम्बर 445/1532 में किस्म गैर मुमकिन रास्ता के

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

अंकन को हटाया जाकर उचित वर्गीकरण देकर अपीलाण्ट को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। पर्चा डिक्री मूर्तिब की जावे।

13. निर्णय आज दिनांक 16.7.2018 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

16/7/18

(निमिषा गुप्ता)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाडा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी – श्री निमिषा गुप्ता ,आर ए एस

अपील संख्या– आरटीए/81/2016

उनवान

1. सोला उर्फ सोलाराम पिता बिहारी बणजारा निवासी उम्मेदपुरा तहसील सहाडा जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट/वादी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, सहाडा मुकाम गंगापुर जिला भीलवाडा
2. सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी, भू प्रबन्ध विभाग भीलवाडा

प्रत्यर्थीगण/प्रतिवादीगण

अपील विरूद्व आदेश उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर के प्रकरण संख्या 63/2012 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24.6.2015

अपील में डिक्री

(आदेश 41 का नियम 35)

उक्त प्रकरण संख्या आर**टीए/81/2016** मे **उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर** के आदेश की अपील इस न्यायालय मे होने पर निम्नांकित डिक्री जारी की जाती हैः–

यह अपील तारीख 16.7.2018 को अपीलाण्ट की ओर से श्री एम एल बापना वकील एवं प्रत्यर्थी की ओर से श्री ओमप्रकाश सेनी की उपस्थिति मे दिनांक 16.7.2018 को सुनवाई के लिये आने पर आदेश दिया जाता है कि :–

अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24.6.2015 को निरस्त किया जाता है एवं राजस्व रेकार्ड में दर्ज हाल आराजी नम्बर 445/1532 में किस्म गैर मुमकिन रास्ता के अंकन को हटाया जाकर उचित वर्गीकरण देकर अपीलाण्ट को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

इस अपील के खर्चे जिनका ब्यारा नीचे दिया जा रहा है जिनकी रकम है तथा अपीलाण्ट के द्वारा दिये जाने है तथा मूल वाद के खर्चे जो प्रत्यर्थी द्वारा दिये जाने है।

आज दिनांक 16.7.2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से यह डिक्री जारी की जाती है।

16/7/18

(निमिषा गुप्ता)

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा

अपील के खर्चे

अपीलाण्ट

1. अपील के लिये ज्ञापन
2. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प
3. आदेशिकाओं की तामील
4. प्लीडर की फीस

रेस्पोडेण्ट

1. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प
2. अर्जी के लिये स्टाम्प
3. आदेशिकाओं की तामील
4. प्लीडर की फीस